

270



भारतीय वन्यजीव संस्थान  
Wildlife Institute of India



SPEED POST

No. WII/RTI/CPIO/2018-19 (Qtr-I)/24

Dated 14.06.2018

To,

The CPIO,  
Chief Wildlife Warden,  
Government of Uttarakhand,  
Uttarkhand Forest Department  
85-Rajpur Road,  
Dehradun – 248 009

Sub.: Information under Right to Information Act, 2005- reg.

Ref.: Your RTI Application dt 30.05.2018, received in this office on 11.06.2018.

Sir,

Please find enclosed herewith an **RTI Request** received from **Shri Lakhbir Singh** on the above quoted subject and reference seeking information under RTI Act, 2005. Since the information sought by the applicant may pertain to your office, the request is hereby transferred to you under rule 6(3) of RTI Act, 2005 for necessary action at your end. The information sought under RTI Act may please be furnished directly to the applicant under intimation to this office.

Thanking you,

Yours faithfully,

( Dr. Anju Baroth )  
CPIO & NO (RTI)

Encl: As above.

Copy for information by speed post to - Shri Lakhbir Singh, S/o Shri Inder Singh,  
Vill. Dhyampur, PO – Nanakmatta, Dist. Udham Singh Nagar, Uttarkhand – 262 311.

स्वातंत्र्य का अधिकार  
SPEED POST

15/6/18

o/c

पत्रपेटी सं० 18, चन्द्रबनी, देहरादून – 248 001, भारत  
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehra Dun - 248001. INDIA  
ई.पी.ए.बी.एक्स : + 91-135-2640111 से 2640115 फ़ैक्स : 0135-2640117, तार : WILDLIFE  
EPABX : + 91-135-2640111 to 2640115; Fax : 0135-2640117; GRAM : WILDLIFE  
ई-मेल / E-mail : wii@wii.gov.in

सेवा में

लोक सूचना अधिनियम/ भारतीय वन्य जीव संरक्षण (कार्यालय)  
देवद्वारा उत्तराखण्ड

विषय : लोक सूचना अधिनियम 2005 की धारा 5(1) अन्तर्गत सूचना मांगे सावधानी प्रेषण  
आवेदक : लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह ग्राम ध्यानपुर बक / उपखण्ड नानकमता  
जिला अदमसिंहनगर उत्तराखण्ड पिन कोड 262311

अधीन सूचना का सम्बन्ध : भारतीय वन्य जीव संरक्षण देवद्वारा से सम्बंधित  
संबन्ध

दृष्ट्या निम्नलिखित विवरण की सूचना देने की कृपा करें।

1. यह कि उत्तराखण्ड में वनों में वन्यजीवों के प्रकार उनकी प्रजाति तथा उनकी संख्या तथा जो जीव वन्यजीव के अन्तर्गत आते हैं उनकी विज्ञानिक जानकारी / सूचना देने की कृपा करें।
2. यह कि उत्तराखण्ड के वनों में निवासित वन्यजीवों द्वारा मानव / व्यक्ति को दाखल / वन्यजीव पड़ना, न दमले में हानि होने तथा फसल नुकसान करने वाले वन्यजीवों से निरोध द्वारा दिये जाने वाले सुझावों / आधिकारिक सहायता की राशि की जानकारी सूचना देने की कृपा करें।

लोक सूचना अधिनियम अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिनियम 5(1) अन्तर्गत सूचना को मांगने की सूचना धारा 5(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में तथा अधिनियम की धारा 7(1) से सूचना प्राप्त में अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त की कृपा प्रति संलग्न है कृपया अधिनियम 5(1) सूचना अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने की कृपा करें।

दिनांक 30.05.2018

लखमीर सिंह  
आवेदक  
लखमीर सिंह 9156073012

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA  
Right to Information Act, 2005  
Apl. No. 24 Qtr. I Year 2018-19  
Fee Nil Inward Date 11/06/2018

Below Poverty line